

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/स.प.अ./ २६३ /2024


दिनांक : 06.11.2024

श्रीमती रिद्धिमा शर्मा (RJ00558), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-02, अलवर को दिनांक 15.10.2024 से 24.10.2024 तक 10 दिनों का *संतान परवरिश अवकाश* (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती शर्मा की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-03, अलवर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-02, अलवर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/17/2008/ ८७९६

दिनांक : 06.11.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 37321 दिनांक 15.10.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती रिद्धिमा शर्मा (RJ00558), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-02, अलवर।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-02, अलवर।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-03, अलवर।


सहायक रजिस्ट्रार